प्रथम सूचना रिपोर्ट
दं0प्र0सं0 की धारा 154 के अन्तर्गत

1. जिला पंचकूला थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला वर्ष 2014 प्र0सु0रि0स0 06
   दिनांक 5.06.2014
2. धारा 7 पी.सी. 1988
3. (क) अपराध की घटना : 5.06.2014
   (ख) थाने में सूचना प्राप्त होने की तारीख : दिनांक 5.06.2014 समय 6:30 पी0एम0.
   (ग) रोजनामचा रिपोर्ट क्रम संख्या : 14
4. सूचना का प्रकार : लिखित
5. घटनास्थलः (क) पूर्व दिशा 15 कि0मी0 रायपुररानी जिला पंचकूला ।
6. शिकायतकर्ता/सूचनादाता
   नाम मदन पाल ग्रम सचिव खण्ड पिन्जौर
   पिता का नाम श्री दलेल सिंह
   राष्ट्रीयता भारतीय
   व्यवसाय सरकारी नौकरी
   पता वासी गांव वासूदेवपुरा कालौनी थाना पिन्जौर जिला पंचकूला ।
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूरा विवरण
   श्री कंवर दमन बी.डी.पी.ओ रायपुररानी
   लिंग पुरूष
   भाषा हिन्दी
8. सूचनादाता द्वारा देरी से सूचना दिये जाने का कारण कोई नहीं।

प्रथम सूचना रिपोर्ट का विवरण :– सेवा मे श्रीमान पुलिस अधीक्षक, स्टेट विजिलैंस ब्यूरों, सैक्टर–6, पंचकूला, श्रीमान जी, निवेदन है कि मैं मदन पाल ग्राम सचिव ग्राम पंचायत रामनगर खण्ड पिन्जौर, जिला पंचकूला मे तैनात हुं। खण्ड पिन्जौर में श्री कंवर दमन सिंह अतिरिक्त बी0डी0पी0ओ0 तैनात है। गांव रामनगर के सरपंच श्री जसबीर सिंह है। जिनको मनरेगा के तहत एक श्री प्रीतम सिंह के घर से लेकर श्री दीदार सिंह के घर तक निर्माण हेतू मु0 4,27,788 रुपयें (चार लाख सताईस हजार सात सौ अठासी रुपयें) की राशि स्वीकृत हुई थी। जिस राशि में से 3,12,127 रुपयें का मैटीरियल गली निर्माण का लेवल 62,984 रुपयें मजदूरी के दिये गये है तथा दिनांक 03.06.2014 से 08.06.2014 तक एक मस्ट्रोल जारी करवाया गया था जो कि खाली था तथा कुछ कार्य गली में शेष था। जो उक्त गली पर बकाया काम करवाने के लिये

मस्ट्रोल मूल रूपये बी0डी0पी0ओ0 श्री कंवर दमन सिंह के पास भेजा हुआ है। जो कि बी0डी0पी0ओ0 इस वर्ष दिनांक 02.06.2011 को सांय 5.30 बजे के करीब मौका का निरीक्षण करने के लिये गांव रामनगर में पंहुचे। जिन्होने मुझे भी किसी फोन से करीब 5.00 बजे सांय मेरे मो0न0 9416227917 पर फोन किया कि मैं भी गांव रामनगर में पंहुचा जो कि मै रामनगर में पंहुचा तो बी0डी0पी0ओ0 साहब मुझे गांव रामनगर के बाहर ही सरकारी गाडी में मिल गये और मुझे कहने लगें कि आज आपका कोई भी मजदूर काम पर नही लगा और झुठा मस्ट्रोल बनवाने के लिये मेरे को साईन करने के लिये कहा हुआ है। मैनें उनको कहा कि जो मस्ट्रोल हमने उक्त गली का आपको दिया हुआ है उस पर दिनांक 03.06.2014 से काम शुरु होना है और बी0डी0पी0ओ0 साहिब बोले कि तुम और जसबीर सरपंच आपस मे मिलीभगत करके झूठा मस्ट्रोल बनाकर राशि का गबन करोगें। मै आप दोनों के खिलाफ कार्यवाही करवाने के लिये अतिरिक्त उपायुक्त महोदय, पंचकूला को लिखुंगा। मैनें कहा कि हम उक्त गली पर में जो बजरी डलवानी है। उसका मस्ट्रोल बनवानें के लिये मस्ट्रोल आपके दफतर मे दिया हुआ है मगर श्री कंवर दमन सिंह बी0डी0पी0ओ0 साहब कहने लगे कि तुम अपने खिलाफ कार्यवाही से बचना चाहते हो तो मुझे तुम दोनों 10,000 रुपयें रिश्वत राशि दे दों, नही तो मैं नोटिस तैयार करके ए0डी0सी0 को भेज दुंगा। मैं नोटिस कल तैयार करके अपने पास रख लुंगा, अगर तुम मुझे अगले सप्ताह किसी दिन आकर 10,000 रुपयें दे देंगे तो वह नोटिस उसी समय पर फाड़ दुंगा, नही तो ADC साहिब को भेजकर तुम दोनों को सस्पैंड करवा दुंगा। जो आज मैं व श्री जसबीर सिंह सरपंच आपके पास 10,000 रुपयें लेकर आये है। हम श्री कवंर दमन सिंह बी0डी0पी0ओ0 को 10,000 रुपयें रिश्वत देना नही चाहते। कृप्या कानूनी कार्यवाही की जावें। SD मदन पाल सचिव रामनगर, खण्ड पिन्जौर, पंचकूला। **कार्यवाही पुलिस** :– आज मन उप पुलिस अधीक्षक मय स्टाफ के बा सवारी गाड़ी सरकारी न0 HR-03K-1894 पर तफतीशी बैग साथ लेकर मुख्यालय राज्य चौकसी ब्यूरों, सैक्टर–6, पंचकूला के बाहर बराये कार सरकार डियुटी मे ंहाजिर था कि श्री मदन पाल ग्राम सचिव ग्राम पंचायत राम नगर खण्ड पिन्जौर व श्री जसबीर सिंह सरपंच ग्राम पंचायत राम नगर ने मिलकर एक लिखित दरखास्त मेरे पेश की जिसमें लिखा है कि श्री बी0डी0पी0ओ0 कंवर दमन उनसे 10,000 रुपयें की राशि बतौर रिश्वत मांग रहा है। ंजो उक्त मजबून दरखास्त कें साथ श्री मदन पाल ग्राम सचिव ने 1000/1000 /रुपयें वालें 10 करंसी नम्बरी नोट पेश किये जिनकी सूचि नोट अलग से तैयार की गई। जो मन उप पुलिस अधीक्षक ने मुलाजमान जिनमें HC जगतार सिंह न0 1278/अम्बाला, सि0 अंशु कुमार न0 714/पंचकूला, सि0 सुमित कुमार न0 1249/जी0आर0पी0, सि0 कुलदीप सिंह न0 1152/भिवानी, ASI राम जीना न0 38/सिरसा तथा SI रमेंश कुमार न0 446/सोनीपत के रैडिंग पार्टी तैयार की गई। जो मजबून दरखास्त से सरेदस्त सूरत जुर्म 7 पी0सी0 एक्ट का सरजद होना पाया जाने पर तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बादस्त सिपाही सुमित कुमार न0 1249/जी0आर0पी0 के थाना में भेजकर अनुरोध है

कि मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति सेवा में ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अन्य प्रतियां सेवा में अफसरान बाला की सेवा मे भिजवाई जावें तथा असल तहरीर मय नकल मिसल मौका पर आरिन्दा के हाथ भिजवाई जावें । जो मन उप पुलिस अधीक्षक मय मुदई व अन्य मुलाजमान व गवाह के बा सवारी सरकारी गाडी पर चालक सि0 अंशु कुमार न0 714/पंचकूला के रवाना कार्यालय उपायुक्त महोदय पंचकूला का होता हुं। उपायुक्त महोदय, पंचकूला से अनुमति रेड ली जाकर आगामी कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी। अफसरान बाला को हालात बजरिया फोन अर्ज किये गये। **हस्ताक्षरः–** उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरों, पंचकूला दिनांक 05.06.2014 समय 5.40 सांय। **अज थाना :–** उपरोक्त लेख पर अभियोग अकिंत कर के स्पैशल रिपोर्ट प्रथम सूचना रिपोर्ट ईलाका मजीस्ट्रेट पंचकूला वा नकुलात प्रथम सूचना रिपोर्ट उच्च अधिकारियों की सेवा मे व असल मिसल तहरीर बजरिया सि0 सुमित कुमार न0 1249 /जी.आर.पी को बरमौका का रवाना किया गया ।

हस्ता/–
ए.एस.आई बलविन्द्र सिंह न0 709/अम्बाला
थाना रा0 चौ0 ब्यूरो, पंचकूला ।